प्रस्तावित संशोधित शोध संक्षेपिका

1. प्रस्तावित शोध प्रबंध का शीर्षक :

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

(रायपुर संभाग में दलित वर्ग के विशेष संदर्भ में)

2. परिचय :

भारत में श्रमिक संगठन कई वर्षों से रोजगार की गारंटी तथा कार्य के प्रति उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त हो इसकी मांग करते रहे है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए तथा गांवो से शहर की ओर रोजगार के लिए ग्रामीणों का पलायन रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम" (नरेगा) लोकसभा में 23 अगस्त 2005 को ध्वनिमत से पारित हुआ। 2 अक्टूबर 2009 से इस अधिनियम को महात्मा गांधी के नाम से समर्पित करते हुए इसका नाम "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम" (मनरेगा) कर दिया गया है। प्रारंभ में यह भारत के 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। 1 अप्रैल2008 से यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कार) लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम प्रारंभ में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू था वर्तमान में यह अधिनियम छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में लागू है।

इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य की सरकार अधिनियम के अनुरूप अपनी योजनाएं तैयार करती है जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) विश्व का सबसे बड़ा सार्वजिनक एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीणों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। मनरेगा अधिनियम रोजगार पाने की गारंटी का कानूनी अधिकार उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम में लगभग एक चौथाई ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष भाग लेते है। इस योजना के अर्न्तगत किसी वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिन (छत्तीसगढ़ में 150 दिन) के लिए वयस्क ग्रामीण को रोजगार प्रदान किया जाता है। यह योजना केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य सरकार लागू करती है।

भारत की अधिकतम जनसंख्या गांवों में निवास करती है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। हमारे देश में गॉवों की जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक है। गांवों में सुविधाओं का अभाव होने के कारण वहां अशिक्षित जनसंख्या अधिक है अतः यह योजना वयस्क अकुशल ग्रामीणों के लिए, जो न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने के

इच्छुक है, रोजगार दिलाने के प्रति एक ठोस कदम है। इस योजना से प्राप्त आय का उपयोग ग्रामीण परीवार अपना स्वयं का काम प्रारंभ करने के लिए कर रहे है। मनरेगा की आय का ग्रामीण उद्यमिता पर प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए पश्चिम बंगाल के वीरभूम(Birbhum) जिले में सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 96 रोजगार कार्डधारकों में 17 प्रतिशत ग्रामीण परीवारों ने मनरेगा की आय का उपयोग एक ग्रामीण उद्योग की शुरूआत, विस्तार या उसे चलाने में किया है। मनरेगा गरीब परिवारों को आर्थिक समस्याओं और महंगाई का सामना करने में सक्षम बनाता है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड़ और ओड़िसा में किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जिन क्षेत्रों में सर्वे किया गया वहां अगर मनरेगा लागू नहीं होता तो अधिकांश परिवार अपने लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं खरीद सकते थे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(मनरेगा) योजनाके अन्तर्गत कोई भी ग्रामीण परिवार को रोजगार पाने के लिए पंजीयन करवाना आवश्यक होता है जो 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। रोजगार पाने के लिए ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन देना होता है। आवेदन करने के पश्चात 15 दिन अंदर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध न कराया जा सके तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। बेरोजगारी भत्ता शुरू के 30 दिन के लिए मजदूरी दर का एक चौथाई(1/4) तथा शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा देय होगा। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक रोजगार कार्ड (Job Card) प्रदान किया जाता है जिसमें उसके द्वारा किये गये कार्य दिवस तथा प्राप्त मजदूरी का विवरण होता है। रोजगार के लिए प्रति वर्ष आवेदन करना आवश्यक है। इस योजना में कार्य के लिए मांग करने वाले व्यक्ति को 5 कि.मी. की परिधि में ही कार्य प्रदान किया जाता है। यदि 5 कि.मी. से अधिक दूरी पर कार्य प्रदान किया जाता है तो न्यनतम मजदूरी से 10% अधिक राशि यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान की जायेगी। सन् 2012–13 तक छत्तीसगढ़ में रोजगार कार्डधारियों (Job Card holders) की संख्या 44,11,256 है। रायपुर जिले में यह संख्या 1,54,508 है।

इस योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की 100% लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी एवं सामग्री लागत का 75% भाग केन्द्र सरकार एवं 25% भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यदि राज्य सरकार समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो सम्पूर्ण बेरोजगारी भत्ते की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना से सम्बन्धित समस्त प्रशासनिक व्ययों तथा कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है परन्तु राज्य रोजगार गांरटी परिषद का प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में मजदूरी का

भुगतान बैंक अथवा डाकघर खाते के माध्यम से किया जाता है। जब योजना प्रारंभ की गई तब वित्त वर्ष 2006–07 में सबसे अधिक मजदूरी 125रू. केरल राज्य से शुरू हुई तथा सबसे कम मजदूरी 47रू. महाराष्ट्र राज्य में थी। वित्त वर्ष 2006–07 में छत्तीसगढ़ की मजदूरी दर 62.63 रू. थी जो 1.4.2012 से 132रू. कर दी गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी संबंधी लागतों (wages cost) और सामग्री लागतों (Material cost) का अनुपात (मजदूरी : सामग्री) 60:40 से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् 60 प्रतिशत राशि का उपयोग अकुशल श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में तथा 40 प्रतिशत राशि का उपयोग कुशल, अर्धकुशल श्रमिकों एवं कार्य में प्रयुक्त सामग्री के क्रय के रूप में किया जाता है।

राज्य स्तर पर योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गांरटी परिषद का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तथा उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से किया जाता है जो इस प्रकार हैः (1) ग्राम पंचायत (2) जनपद पंचायत (ब्लॉक स्तर) (3) जिला स्तर। योजना के क्रियान्वयन की मुख्य जवाबदारी जनपद पंचायत की होती है जहां पर जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। रायपुर जिले में इस योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए कार्य को 4 जनपद पंचायतों(ब्लॉक स्तर) अभनपुर, आरंग, तिल्दा एवं धरसींवा में विभाजित किया गया है। अभनपुर जनपद में 91 ग्राम पंचायतें, आरंग जनपद में 125 ग्राम पंचायतें, तिल्दा जनपद में 91 ग्राम पंचायतें तथा धरसींवा जनपद में 85 ग्राम पंचायतें कार्यरत है अर्थात कुल 4 जनपद स्तर पर 392 ग्राम पंचायतें कार्यरत है।

मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नलिखित हैः–

1. जल संरक्षण एवं जल संवर्धन।
2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण।
3. सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।
4. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभांवितो, इंदिरा आवास योजना से लाभांवितो व सामान्य वर्ग बी.पी.एल., लघु एवं सीमान्त कृषकों की जमीन तक सिंचाई की सुविधायें पहुंचाना।
5. परम्परागत जल स्रोत संरचानाओं का पुनरूद्धार (तालाबों से मिट्टी निकालने सहित)।
6. बागवानी व भूमि विकास का कार्य।
7. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।

8. हर मौसम में गांव–गांव तक पहुंचने के रास्ते का निर्माण।
9. ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का निर्माण।
10. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया कोई अन्य कार्य।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(मनरेगा) योजना के परिणामों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत की जाती है और राज्य सरकार द्वारा विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाती है।

3. शोध विषय क्षेत्र पर पूर्व में किये हुए शोध अध्ययन का संक्षिप्त में पुनरावलोकन :

1. "टू ईयर्स ऑफ एनआरईजीए" : 2008 अम्बाटे, पी.एस. विजय शंकर और एम. शाह

सारांशः इस अध्ययन के अनुसार इस योजना से निर्धनतम गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने की व्यापक संभावनाएं है और भारत के ग्रामीण शासन में क्रांति की शुरूआत हो रही है।

2. "इम्पेक्ट ऑफ एमजीएनआरइजीएस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर मार्केट्स": 2011 बाबू .एस.राव, एच.पी.टी.रेड्डी और चक्रवर्ती

सारांशः यह अध्ययन श्रमिक बाजारों में विशेष रूप से भूमि उपयोग, फसल पद्धतियों और कृषि अर्थव्यवस्था में आए बदलाव के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर और बर्दवान जिलों में किया गया। इसके अनुसार भूमि इस्तेमाल पद्धति में व्यापक बदलाव आया और बंजर भूमि को खेती लायक बनाया गया।

3. "पब्लिक वर्क्स एंड वेजेज इन रूरल इंडिया" : 2011 चंद्रशेखर, सी. , और जे. घोष

सारांशः इस अध्ययन में बताया गया है कि मनरेगा के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी विशेषतः महिलाओं की मजदूरी बढ़ी है। महात्मा गांधी नरेगा का ग्रामीण मजदूरों में महिला श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

4. "द अकाउंटेबिलिटी गैप" : 2011 द्रेज. जे. (संपादन आर.खेड़ा)

सारांश : यह अध्ययन झारखण्ड, छत्तीसगढ़ सहित भारत के विभिन्न राज्यों मे क्षेत्रिय सर्वेक्षणों पर आधारित है। इसमें मनरेगा के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन किया गया है।

5. “एमजीएनआरईजीए एंड वीमेन्स इम्पावरमेंट” : 2012 हिर्वे, आई. और एस. बताव्याल

सारांक्ष : इस अध्ययन के अनुसार मनरेगा ने महिलाओं के सशक्तिकरण को दैनिक मजदूरी रोजगार, समान भुगतान, ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षणों में भागीदारी और सामाजिक सहयोग की गतिशीलता द्वारा बढ़ाया है।

4. शोध अध्ययन का उद्देश्य :

मनरेगा योजना केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी सबसे बड़ी योजना है। इस योजना का ग्रामीण परिवारों को कितना लाभ प्राप्त हुआ है? यह योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कहां तक सफल हुई है? चूंकि यह योजना ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित है अतः भविष्य में इस योजना से रायपुर जिले में ग्रामीण परिवारों को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है इसका अध्ययन करना एवं निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करना शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हैः—

1. रायपुर जिले में अशिक्षित ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण बेरोजगारी तथा उपलब्ध संपूर्ण मानव संसाधन की जानकारी प्राप्त करना।

2. रायपुर जिले में मनरेगा योजना के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करके किये गये कार्यों की जानकारी।

3. रायपुर जिले में मनरेगा योजना के लिए वित्त की व्यवस्था एवं उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है?

4. मनरेगा योजना को लागू करने के लिए तय समय सीमा का अध्ययन।

5. मनरेगा योजना की कार्य प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के उपायों की खोज।

6. क्या मनरेगा योजना के अंतर्गत रायपुर जिले में मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध है?

7. क्या श्रमिक को उसके द्वारा किये गये कार्य की संपूर्ण मजदूरी मिल पा रही है?

8. इस योजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए किये गये उपायों का अध्ययन।

9. श्रमिकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास।

10. मनरेगा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रचार–प्रसार के साधनों का अध्ययन।

11. मजदूरी भुगतान पद्धति को सरल एवं सुगम बनाने के उपाय का अध्ययन।

12. मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन–कौन से कार्यों को प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है उसका पता लगाना।

13. विगत वर्षों में मनरेगा योजना की उपलब्धियों का अध्ययन।

14. मनरेगा योजना को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए तथा इसके विकास में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सुझाव।

5. प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की प्रस्तुति :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है। मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी सम्पतियों का सृजन हुआ है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है। मनरेगा के अर्न्तगत सन् 2012–13 में छत्तीसगढ़ में 27,31,977 परिवारों ने रोजगार की मांग की थी उनमें से 26,36,828 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। मनरेगा मौलिक अधिकारों के रूप में सम्मानजनक जीवन जीने का हक प्रदान करता है। मनरेगा में एक तिहाई(1/3) महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता देने से यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सन् 2012–13 में मनरेगा के कार्यों में महिलाओं का योगदान 46.93% रहा है। मनरेगा में समय पर रोजगार उपलब्ध न होने पर श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

6. (i) शोध कार्य में प्रस्तावित शोध प्रविधि :

शोघ कार्य के अतंर्गत मनरेगा योजना से संबंधित तथ्यों की जानकारियों का प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको द्वारा संकलित, एकत्रित एवं लिपिबद्ध कर इनका सारणीयन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाना प्रस्तावित है। ये जानकारियां संबंधित संस्थाओं में उपलब्ध अभिलेखों, वार्षिक प्रतिवेदनों, अनुसूचियों तथा मनरेगा की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से एकत्रित की जायेगी। मनरेगा पर शोध कार्य के दौरान निम्नांकित विशिष्ट पद्धतियों को भी प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित हैः– (1) अवलोकन (2) प्रश्नावली (3) साक्षात्कार (4) विचार–विमर्श।

उक्त सभी स्रोतों से प्राप्त जानकारियों को संकलन करने के पश्चात उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियों का आवश्यकतानुसार उपयोग कर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया जावेगा।

6. (ii) शोध अध्ययन की परिकल्पना :

प्रत्येक शोध कार्य कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित होता है। यह परिकल्पना शोधकर्ता के अपने अध्ययन, अनुभव तथा विश्लेषण पर आधारित होती है। प्रस्तुत शोध विषय के संबंध में शोधकर्ता की अपनी कुछ परीकल्पनाएं इस प्रकार हैः—

1. मनरेगा से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा गांवों से शहरों की ओर ग्रामीण श्रमिकों का पलायन कम हुआ है।
2. मनरेगा गरीबी मिटाने में सहायक सिद्ध हुआ है तथा इसके लागू होने से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।
3. मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पतियों का परिमार्जन हुआ है।
4. मनरेगा को सशक्त एवं प्रभावी बनाकर आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव का एक कारगर साधन बनाया जा सकता है।

7. प्रस्तावित कार्य का अपेक्षित परिणाम :

मनरेगा योजना का परिचालन किस प्रकार किया जाये ताकि पहले की तुलना में इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा जा सके तथा बेरोजगारी की दशा को दूर किया जा सके। ग्रामीण बेरोजगारी दूर होने से गांव के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे देश के उद्योग धंधों का विकास होगा एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।

8. आवेदक के प्रकाशित पत्रों की सूची : निरंक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(रायपुर संभाग में दलित वर्ग के विशेष संदर्भ में)

शोध प्रबंध की विषयानुक्रमणिका

अध्याय 1 – प्रस्तावना, शोध प्रविधि एवं परिकल्पना

1.1 शोध अध्ययन का उद्‌देश्य

1.2 शोध परिकल्पना

1.3 शोध प्रविधि

1.4 शोध अध्ययन का क्षेत्र

अध्याय 2 – छत्तीसगढ़ राज्य : एक परिचय

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिचय

2.2 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गांवो का स्थान

2.3 रायपुर जिले का आर्थिक परिवेश

2.4 रायपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण एवं मानव संसाधन

अध्याय 3 – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

3.1 मनरेगा : एक परिचय

3.2 मनरेगा योजना का कार्यक्षेत्र, महत्व एवं उद्‌देश्य

3.3 मनरेगा का वित्त एवं कार्मिक प्रबंध

3.4 छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा योजना

3.5 रायपुर जिले में मनरेगा योजना की वर्तमान भूमिका

अध्याय 4 – मनरेगा योजना का अवलोकन

4.1 कार्य योजना, समय सीमा एवं श्रम बजट

4.2 ग्राम सभा, जनपद एवं जिला स्तर की वार्षिक योजनाएं

4.3 कार्य का मापन, मापन कार्यों की जांच तथा कार्य समापन की रिपोर्ट

4.4 समय सीमा का अनुपालन न करने के परिणाम

4.5 संवेदनशील समूहों के लिए कार्यनीतियां

अध्याय 5 – मनरेगा योजना के अन्तर्गत रायपुर जिले में रोजगार की दशा एवं दिशा

5.1 रोजगार की मांग

5.2 रोजगार में महिलाओं की भागीदारी

5.3 रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों की भागीदारी

5.4 मजदूरी की गणना एवं मजदूरी भुगतान की प्रणालियां

5.5 बेरोजगारी भत्ते की स्थिति

अध्याय 6 – मनरेगा योजना की उपलब्धियां एवं मूल्यांकन

6.1 प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में

6.2 रोजगार वृद्धि के संबंध में

6.3 योजनाओं के संचालन के संबंध में

6.4 मनरेगा में उपलब्ध बीमा सुविधा

अध्याय 7 – आर्थिक विकास में मनरेगा योजना का योगदान

7.1 केन्द्र स्तर पर

7.2 राज्य स्तर पर

7.3 जिला स्तर पर

7.4 जनपद स्तर पर

7.5 ग्राम पंचायत स्तर पर

अध्याय 8 – मनरेगा योजना की समस्याएं, निराकरण एवं सुझाव

8.1 मनरेगा योजना के विकास में आने वाली समस्याएं

8.2 शिकायतों का निराकरण

8.3 सुझाव

- निष्कर्ष एवं उपसंहार
- संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डाथार जे.बी., बेटी एस.जी., कुशवाहा डी.एस., "भारतीय अर्थ व्यवस्था", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1961
2. जैन डॉ. पी.सी., "भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति", हिन्दी समिति सूचना विभाग, लखनऊ, 1966
3. मिश्र डॉ.एस.के., एवं पूरी वी.के. "भारतीय अर्थ व्यवस्था", हिमालिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
4. कुलश्रेष्ठ डॉ. आर.एस., "वित्तीय प्रबंध" साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2003
5. देराथी सत्यदेव एवं नाथूरामका लक्ष्मीनारायण, "भारतीय अर्थशास्त्र" लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1970
6. कमलेश संतराम, "छत्तीसगढ़ की भौगोलिक समीक्षा", वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर, 2002
7. त्रिपाठी कौशलेन्द्र एवं चन्द्राकर पुरूषोत्तम, "छत्तीसगढ़ का भूगोल", शारदा प्रकाशन, बिलासपुर, 2001
8. जैन डॉ.बी.एम., "रिसर्च मैथ्डॉलॉजी", रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2003
9. राय पारसनाथ, "अनुसंधान परिचय", लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1989
10. सिन्हा वी.सी. एवं द्विवेदी आर.एस., "अनुसंधान के तत्व", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1987
11. मुखर्जी रविन्द्र नाथ, "सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी", विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
12. त्रिवेदी डॉ.आर.एन.एवं शुक्ल डॉ.डी.पी., "रिसर्च मैथ्डॉलॉजी", कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1990
13. कपिल डॉ.एच.के., "सांख्यिकी के मूल तत्व", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2005
14. यादव आर.के., जैनएम.एल. एवं मित्तल एस.एल., "सांख्यिकी विधियां", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1985
15. कोठारी प्रो.एस.एल. एवं कोठारी डॉ. मिलिंद, "सांख्यिकी सिद्धांत एवं व्यवहार" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1990
16. अग्रवाल आर.सी. "व्यवसाय प्रशासन एवं प्रबंध", नवयुग साहित्य, आगरा, 2006
17. दुबे आर.एन. एवं सिन्हा वी.सी., "आर्थिक विकास एवं नियोजन" नेशनल पब्लिकेशन, 2002
18. गुप्ता मदन लाल, "छत्तीसगढ़ दिग दर्शन", भारतेन्दु हिन्दी साहित्य समिति, 2002
19. गुप्ता डॉ. के. एल., "भारत की आर्थिक समस्याएं", नवयुग साहित्य सदन, आगरा, 2004
20. जैन बी.एम., "शोध प्रविधि व क्षेत्रीय तकनीक", रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2001
21. शुक्ला शांता, "छत्तीसगढ़ का सामाजिक विकास", नेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 2005
22. तिवारी विजय कुमार, "छत्तीसगढ़ एक भौगोलिक अध्ययन" हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 2001
23. डे निखिल, द्रेज ज्यां एवं खेरा रितिका, "रोजगार गारंटी अधिनियम", नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 2008
24. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, "महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा", ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2012

वेबसाइट :–

1. nrega.nic.in
2. knowledge.nrega.net
3. nrega.net
4. mgnrega.cg.gov.in
5. recruitmentresult.com/mgnrega-recruitment/

निर्देशक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य),

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

शोधकर्त्ता

सुरेश कुमार जैन

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य),

आदर्श महाविद्यालय,रायपुर(छ.ग.)

17.12.13

अध्यक्ष

(डी.आर.सी.)

दुर्गा महा.रायपुर(छ.ग.)

17.12.13

PRINCIPAL,
DURGA MAHAVIDYALAYA
RAIPUR. (C. G.)

प्राचार्य

शोध केन्द्र

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)